भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2484

दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2025

2484. **श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ब्याज सब्सिडी और सौर ऊर्जा संचालित करघों को अपनाने सहित उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2025 की राष्ट्रीय प्रगति का ब्यौरा क्या है

(ख) उत्तर प्रदेश में उक्त नीति के कार्यान्वयन और किफायती ऋण तक पहुंच, प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहनों और हथकरघा इकाइयों को प्राप्त लाभों, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि तथा बाजार तक पहुंच शामिल है, जैसे सहायता उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक जिला एक उत्पाद-गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (ओडीओपी-जीईएम) के माध्यम से सौर ऊर्जा संचालित करघों के लिए सब्सिडी तथा ई-कॉमर्स साझेदारी को सुगम बनाए जाने से इटावा और औरैया की हथरकघा इकाइयों को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति- 2025 प्रचालन में नहीं है तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन नीति-2022 प्रचालन में है।

(ख): उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

(ग): गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) से प्राप्त सूचनानुसार, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के माध्यम से ई-कॉमर्स भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु इसने उत्तर प्रदेश के लिए अपने ओडीओपी स्टोर फ्रंट के अंतर्गत ओडीओपी उत्पाद श्रेणियों के सृजन की सुविधा प्रदान की है, जिसमें औरैया और इटावा दोनों के विक्रेता शामिल हैं, जहां संबंधित विक्रेता अपने ओडीओपी उत्पाद अपलोड कर सकते हैं।
